न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 5409—एक / 2013, विरुद्ध आदेश दिनांक 24-08-2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक [illegible] अपील / 2012-13

...

श्रीमती सामल पुत्री कम्मा जाटव
पत्नी भैरालाल निवासी ग्राम हीरापुरा
हाल निवासी [illegible] तहसील बीरपुर
जिला श्योपुर म0प्र0 .... आवेदिका

विरुद्ध

जीवनलाल पुत्र बुद्दालाल जाटव
निवासी ग्राम हीरापुरा बीरपुर,
जिला श्योपुर म0प्र0 .... अनावेदक

...

श्री [illegible], अभिभाषक, आवेदक

अनावेदक एकपक्षीय

....

: आ दे श :

(आज दिनांक [illegible] जुलाई, 2014 को पारित)

—

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-08-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

[illegible] कि आवेदिका सामल पुत्री कम्मा [illegible] निवासी हीरापुरा तहसील बीरपुर जिला श्योपुर ने विचारण न्यायालय तहसीलदार बीरपुर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि का नामांतरण

दावा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 109, 110 के तहत पेश किया । तहसीलदार विजयपुर ने प्रकरण क्रमांक 17 / 2009-2010 / अ-6 में दर्ज कर दिनांक 29-08-2011 को पारित आदेश द्वारा आवेदिका का नाम विवादित भूमि का नामांतरण स्वीकार किया गया । उक्त आदेश से दुखी होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा प्र0क्र0 03/2011-12/अ0मा0 में पंजीबद्ध कर दिनांक 26.09.2002 को पारित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश के विरूद्ध न्यायालय समक्ष द्वितीय अपील [illegible] आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2013 [illegible] अस्वीकार की गई है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

5. आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक के हित में मृतक कन्या के फौत होने के उपरांत रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आदेश पारित किया था । उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को आपत्ति के आधार पर किये गये नामांतरण को निरस्त नहीं करना चाहिए था । [illegible] विचारण न्यायालय ने समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाकर नामांतरण आदेश आवेदिका के हित में किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अवैधता की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अनावेदक [illegible] मृतक [illegible] होना बताया है । भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में निरवसीयत की पुरूष की मृत्यु उपरांत वारिस के संबंध में अनुसूची में कहीं भी दामाद वारिस होने का प्रावधान कानून में नहीं है, अर्थात दामाद

उत्तराधिकार अधि0 1956 के अनुसार वारिस नहीं होता है इस प्रकार अनावेदक मात्र ... वसीयत दिनाक 26.07.1997 के आधार पर ... नामातरण कराना चाहता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 24.08.2006 से मृतक द्वारा आवेदक के हित मे किये गये रजिस्टर्ड वसियतनामा के मुकाबले अनावेदक के वसियतनामा वर्ष 1997 मे शून्य मानते हुये विधी पूर्ण आदेश दिया है अधीनस्थ न्यायालय ... इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि आवेदक द्वारा मृतक ... हमेशा सेवा करती रही है जिस कारण आवेदिका के हित में रजिस्टर्ड वसियतनामा किया था। अपीलीय न्यायालयों को नामातरण आदेश निरस्त करने की अधिकारिता नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के हित में जो आदेश पारित किया है वह कानूनी आधार पर स्थिर रख जाने योग्य नहीं है। अंत मे आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार ... पारित ... 29.08.2011 यथावत रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4 प्रकरण मे अनावेदक के अनुपस्थित रहने के कारण दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से तलवाना ... की गई परन्तु अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय पक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वसीयतनामे के आधार पर नामातरण का है। प्रकरण मे दो वसीयत है पहली वसीयत मृतक की जो पुत्रियां थी उनमे एक पुत्री जिसकी मृत्यु हो गई है ... (अनावेदक) के पक्ष में है। इस वसीयतनामा को ... कारण विचारण न्यायालय ने ... माना है और दूसरी वसीयत ... की है को सही और प्रमाणित ... नामातरण के आदेश दिए है। अपने आदेश मे विचारण न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ए आई आर 1971 गुजरात 115 एवं 1965 आर.एन. 184 में प्रतिपादित सिद्धांत कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अंतिम वसीयत ही प्रभावी होती है ... स्पष्ट ... वसीयत ... प्रमाणित पाए जाने के उपरांत ...

है विचारण न्यायालय की जो निष्कर्ष है वह अभिलेख पर आधारित होने से उचित न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण प्रतीत होते हैं। विचारण न्यायालय का आदेश काटकर दूषित है इस संबंध में ना तो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा और ना ही द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई ठोस आधार अपने आदेशों में दिए हैं जबकि विचारण न्यायालय में आई साक्ष्य से आवेदिका के पक्ष में जो वसीयत है वह प्रमाणित पाई गई है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की गई है। अतः उनके आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24-8-13 एवं अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-9-12 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार विजयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-8-11 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है।

(हस्ताक्षर)

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर